रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D.(D.N.) 127

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 476] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 1989/श्रावण 11, 1911
No. 476] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 1989/SRAVANA 11, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1989

का० आ० 805 (अ):—कंपनी विधि बोर्ड का समाधान हो गया है कि मैसर्स पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लि., जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एससीओ सं. 315-16, सैक्टर 35-बी, चंडीगढ़ में है, के मुख्य उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए और दक्षतापूर्ण, अधिक विस्तार तथा बेहतर समन्वय के प्रयोजन के लिए यह लोकहित में आवश्यक है कि मैसर्स पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एससीओ सं. 315-16, सैक्टर 35-बी, चंडीगढ़ में है और उक्त मैसर्स पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड, जो एक सरकारी कंपनी है, का मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीयल और हार्टिकल्चर डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नाम और उपनाम के अधीन एक कंपनी के रूप में समायोजन किया जाना चाहिए।

और प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की एक प्रति पूर्वोक्त कंपनियों अर्थात् मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन और मैसर्स पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड को समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजी गई थी।

और पूर्वोक्त कंपनियों के समामेलन की स्कीम आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी और कंपनी विधि बोर्ड को समामेलन की स्कीम की बाबत किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अब अतः कंपनी विधि बोर्ड भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं. जी एस आर 443(अ) तारीख 18-10-1972 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दो कंपनियों के समामेलन का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम

इस आदेश का नाम पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (समामेलन) आदेश 1989 है।

1. परिभाषाएं

इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है;

(ख) "विघटित कंपनी" से मैसर्स पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड, अभिप्रेत है;

(ग) "परिणामी कंपनी" से मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज और हार्टिकल्चर डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है। मैसर्स पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड को इस आदेश द्वारा विघटित किया जाएगा और मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रियल और हार्टिकल्चर डवलपमेंट कारपोरेशन के रूप में नामित किया जाएगा।

3. (क) 31-8-1986 को दोनों कंपनियों के अंश धारण का पेटर्न

(i) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के अंश धारियों का नाम	अंशों की सं.	रकम (रु. में)
1. पंजाब के राज्यपाल, सचिव, पंजाब कृषि विभाग चंडीगढ़ द्वारा	4,30,995	4,30,99,500
2. श्री डी. के. पोद्दार, उप-सचिव, कृषि, पंजाब	1	100
3. श्री सुखदेव सिंह, कृषि निदेशक, पंजाब, चंडीगढ़।	1	100
4. श्री अमरजीत सिंह, उद्योग निदेशक, पंजाब चंडीगढ़	1	100
5. श्री ए. आर. तलवार, उप सचिव, वित्त विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़	1	100
6. श्री अमिताभ पांडे, प्रबंध निदेशक	1	100
7. भारत के राष्ट्रपति, सचिव, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा	1,40,000*	1,20,00,000
	5,71,000	5,51,00,000

(ये प्रत्येक 100 रु. के साधारण अंश है)

*प्रत्येक 50 रु. के 40,000 अंश भागतः समादत्त हैं।

(ii) पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड	अंशों की सं.	रकम (रु. में)
1. पंजाब के राज्यपाल	14,986	14,98,500
2. श्री पी. एच. वैष्णव	1	100
3. श्री एन. एस. रतन	1	100
4. श्री जी. एस. निज्जर	1	100
5. श्री ए. पांडे	1	100
	14,990	14,99,000

प्रत्येक 100 रु. के साधारण अंश पूर्णतः समादत्त हैं।

(ख) मैसर्स पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड में 100 रु० वाले सभी 14,990 साधारण पूर्णतः समादत्त अंश, जो पंजाब के राज्यपाल और पंजाब सरकार के नामनिर्देशितियों के नाम में धारित हैं, रद्द किए जाते हैं और परिणामी कंपनी प्रत्येक 100 रु के इतने ही साधारण अंश जो राज्य सरकार को उसी मूल्य पर पूर्णतः समादत्त होंगे आबंटित करेगी और नकद कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा।

(ग) परिणामी कंपनी रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसके नाम नियत दिन से तुरंत पूर्व विघटित कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में मौजूद है, उसे अंशों के आबंटन और ऐसे अंशों के आबंटन पत्र के बारे में ब्यौरा देते हुए एक सूचना देगी। उक्त सूचना परिणामी कंपनी कम से कम दो समाचार पत्रों में (जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा) विघटित कंपनी के अंश धारियों को सूचना के प्रेषण को अधिसूचित करते हुए प्रकाशित करवाएगी।

4. कंपनियों का समामेलन: (1) नियत दिन से ही, मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड का समस्त कारबार और उपक्रम जहां पर भी है जिसके अंतर्गत सभी संपत्तियां चाहे जंगम हो या स्थावर और अन्य आस्तियां चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, जैसे मशीनरी और सभी स्थिर आस्तियां, पट्टे भू-धृति अधिकार, शेयरों में विनिधान या अन्यथा व्यापार में स्टाक, औजार, अभिवहन में माल सभी प्रकार के दोनों धनों का अग्रिम, बहीखाते ऋण, बकाया धन, वसूलीय दावे, करार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञापत्र, आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशय-पत्र और हर प्रकार के सभी अधिकारी और शक्तियां, किंतु मैसर्स पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड के सभी बंधकों और प्रभारों और धारणाधिकार, और उसकी उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्याभूति और सभी अधिकारों के अधीन रहते हुए, और कार्यवाही या विलेख के बिना प्रवृत्त विधि के अनुसार मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे या अंतरित और निहित हुए समझे जाएंगे।

(ii) लेखा के प्रयोजनों के लिए समामेलन, विघटित कंपनी के 31 अगस्त, 1986 को यथा विद्यमान संपरीक्षित लेखाओं और तुलन पत्र के प्रति निर्देश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात् संव्यवहारों को एक सामान्य लेखा में पूल किया जाएगा, विघटित कंपनी से किसी पश्चात्वर्ती तारीख को अपना अंतिम लेखा तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कंपनी 31 अगस्त, 1986 को यथा विद्यमान तुलन पत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों को ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् के सभी संव्यवहारों का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी।

स्पष्टीकरण: विघटित कंपनी के उपक्रम के अंतर्गत सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार, विशेषाधिकार और सभी संपत्ति, जंगम या स्थावर जिसके अंतर्गत नकद अतिशेष, आरक्षितियां, राजस्व, अतिशेष, विनिधान और ऐसी संपत्ति में, या उसके उद्भूत होने वाले अन्य सभी हित और अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कंपनी के हों, और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज तथा विघटित कंपनी के उस समय विद्यमान सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं, चाहे वे किसी भी प्रकार की उस समय हों, आते हैं।

संपत्ति की कुछ मदों का अन्तरण: इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को यथा विद्यमान विघटित कंपनी के सभी लाभ या हानि या दोनों, यदि कोई हों, और विघटित कंपनी के राजस्व आरक्षिती,

या घाटा, या दोनों, यदि कोई हों, जब परिणामी कंपनी को अन्तरित होते हैं, तो वे परिणामी कंपनी के यथास्थिति, लाभ या हानि और राजस्व आरक्षिती या घाटे का भाग रूप होंगे।

6. संविदाओं आदि की व्यावृत्ति : इस आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार और अन्य लिखतें, चाहे वे किसी प्रकार की हों, जिनमें विघटित कंपनी एक पक्षकार हो, जो नियत दिन के ठीक पूर्व अस्तित्व में है या प्रभावी है, परिणामी कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतः प्रवर्तनशील और प्रभावी होंगी और उन्हें वैसे ही पूर्ण रूप से प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो विघटित कंपनी के बजाय परिणामी कंपनी उसमें एक पक्षकार थी।

7. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति : यदि, नियत दिन को, विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद अभियोजन, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य विधिक कार्यवाही लंबित है तो वह विघटित कंपनी के उपक्रम के परिणामी कंपनी को अन्तरित हो जाने के कारण या इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपशमित नहीं होगी या उसे बंद नहीं किया जाएगा अथवा किसी भी प्रकार से उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु ऐसा वाद अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही परिणामी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति से और उसी विस्तार तक जारी रखी जा सकेगी, अग्रसर और प्रवर्तित की जा सकेगी जिस रीति से और जिस विस्तार तक वह विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती या अग्रसर और प्रवर्तित की जा सकती थी या जारी रखी जा सकेगी, या अग्रसर और प्रवर्तित की जा सकेगी। यदि यह आदेश नहीं किया गया होता।

8. कराधान की बाबत उपबंध : नियत दिन से पूर्व, विघटित कंपनी द्वारा किए गए कारबार के लाभों और अभिलाभों (जिसके अंतर्गत संचित हानियां और अनामेलित अवक्षयण भी हैं) की बाबत सभी कर परिणामी कंपनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए संदेय होंगे जो इस समामेलन के परिणामस्वरूप आय-कर, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात की जाएं।

9. विघटित कंपनी के विद्यमान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध : विघटित कंपनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (विघटित कंपनी के निदेशकों को छोड़कर) नियत दिन से परिणामी कंपनी का यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी बन जाएगा और वह उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो वह, यदि यह आदेश नहीं किया गया होता, विघटित कंपनी के अधीन धारण करता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक परिणामी कंपनी में उसका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तें पारस्परिक सहमति द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं।

10. निदेशकों की हैसियत : विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किए हुए है विघटित कंपनी का निदेशक नहीं रह जाएगा।

11. भविष्य निधि की सदस्यता : विघटित कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की स्कीम के अधीन उस कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे जिसके वे सदस्य हैं और इस आदेश राजपत्र में प्रकाशन के नियत दिन से मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड उन अधिकारियों की बाबत, उन्हीं दरों पर, जिन पर विघटित कंपनी उक्त कर्मचारी भविष्य निधि में अभिदान कर रही थी, उक्त निधि में कर्मचारियों के अभिदाय करेगा और करता रहेगा।

12. मैसर्स पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड का विघटन : इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए नियत दिन से मैसर्स पंजाब हार्टिकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड विघटित हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति विघटित कंपनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या किसी अधिकारी के विरुद्ध उसकी ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में न तो कोई दावा करेगा, न कोई मांग करेगा और न ही कोई कार्यवाही करेगा और न ही ऐसे प्रख्यान करेगा सिवाय वहां तक जहां तक इस आदेश के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हो।

13. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण : कंपनी विधि बोर्ड, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कंपनी रजिस्ट्रार पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा जिसकी प्राप्ति पर, कंपनी रजिस्ट्रार जलंधर परिणामी कंपनी द्वारा विहित फीस का संदाय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा। उसके पश्चात् कंपनी रजिस्ट्रार, जलंधर अंतरक कंपनी से संबंधित अपने पास रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेज, मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज एंड हार्टिकल्चर डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के, जिसके साथ अन्तरक कंपनी का समामेलन किया गया है, फाइल में रखेगा और उन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा।

14. परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद : मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, जिस रूप में नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान थे, नियत दिन से परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हो जाएंगे।

[सं. 24/15/85-सीएल III]

एस. कुमार, सदस्य

(कंपनी विधि बोर्ड)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 2nd August 1989

S.O. 605(E) :—Whereas, the Company Law Board is satisfied that for the purpose of securing the principal object of M/s. Punjab Horticulture Corporation Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at SCO No. 315-16, Section 35-B, Chandigarh and for the purpose of efficient economic expansion, better co-ordination, it is essential in the public interest that M/s. Punjab

Agro Industries Corporation Limited, a Company incorporated under the Companies Act 1956 (1 of 1956) having its registered office at SCO No. 315-16, Section 35-B Chandigarh and the said M/s Punjab Horticulture Corporation Limited, a Government Company should be amalgamated into a single company, under the name and style of M/s. Punjab Agro Industrial and Horticulture Development Corporation Limited.

And whereas, a copy of the porposed order was sent in draft to the aforesaid companies, namely, M/s. Punjab Agro Industries Corporation Limited and M/s. Punjab Horticulture Corporation Limited for its publications in the Newspapers.

And whereas, the schemc of amalgamation of the aforesaid companies were published in two Newspapers for inviting objection and suggestions and no suggestions/objections have been received by the Company Law Board in regard to the scheme of amalgamation from any person;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of the section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the notification of the Government of India in the Department of Company Affairs, No. GSR 443(E), dated 18-10-1972 the Company Law Board makes the following order to provide for the amalgamation of the said two companies namely :

1. SHORT TITLE

This order may be called as the Punjab Horticulture Corporation Limited and Punjab Agro Industries Corporation Limited (Amalgamation) Order, 1989.

2. DEFINITIONS

In this order unless the context otherwise requires :

(a) 'Appointed day' means the date on which this order is notified in the Official Gazette;

(b) 'Dissolved Company' means M/s. Punjab Horticulture Corporation Limited;

(c) 'Resulting Company' menas M/s. Punjab Agro Industrial and Horticulture Development Corporation Limited.

M/s. Punjab Horticulture Corporation Limited shall be dissolved by this order and M/s. Punjab Agro Industries Corporation Limited will be named as M/s. Punjab Agro Industrial and Horticulture Development Corportion Limited.

3. (a) THE SHARE HOLDING PATTERN OF THE TWO COMPANIES AS ON 31-8-1986.

(i) Punjab Agro Industries Corporation Limited

Name of shareholders in Punjab Agro Industries Corporation Limited.	No. of Shares	Amount (in Rs.)
1. Governor of Punjab through Secretary to Government Punjab Agriculture Deptt. Chandigarh.	4,30,995	4,30,99,500
2. Shri D.K. Podar, Deputy Secretary, Agriculture, Punjab.	1	100
3. Shri Sukhdev Singh, Director of Agriculture, Punjab, Chandigarh.	1	100
. Shri Amarjit Singh Director, of Industries, Punjab, Chandigarh.	1	100
ɔ. Shri A.R. Talwar, Deputy Secretary to Government of Punjab, Finance Deptt., Chandigarh.	1	100
6. Shri Amitabha Pande, Managing Director.	1	100
7. President of India through Secretary to Govt. of India, Ministry of Agriculture and Rural Development, New Delhi.	1,40,000*	1,20,00,000
	5,71,000	5,51,00,000

(These are Equity Shares of Rs. 100 each)
*40,000 shares are partly paid up @ Rs. 50 each.

(ii) Punjab Horticulture Corporation Limited	No. of Shares	Amount (in Rs.)
1. Governor of Punjab.	14,986	14,98,600
2. Shri P.H. Vaishnav	1	100
3. Shri N.S. Rattan	1	100
4. Shri G.S. Nijjar	1	100
5. Shri A. Pande	1	100
	14,990	14,99,000

Equity share of Rs. 100 each fully paid up.

(b) All the 14,990 equity shares of Rs. 100 each fully paid up in M/s. Punjab Horticulture Corporation Limited which are held in the name of Governor of Punjab and the nominees the Govt. of Punjab shall stand cancelled and the resulting company shall allot an equal number of equity shares of Rs. 100 each fully paid at part to the State Govt. and there will be no transaction in cash.

(c) The resulting company shall send by registered post acknowledgement due to every person whose name appears, immediately before the appointed day, in the register of members of the dissolved company, a notice giving particulars, as to the allotment of shares to him and allotment letter for such shares. A notice shall also be published by the resulting company in at least two Newspapers (one of which shall be in the Regional Language) notifying the despatch of the notice to the share holders of the dissolved company.

4. AMALGAMATION OF THE COMPANIES

(i) On and from the appointed day, the entire business and undertaking of M/s. Punjab Agro Industries Corporation Limited and M/s. Punjab Horticulture Corporation Limited as where is, including all the properties, movable or immovable and other assets of what soever nature e.g. machinery and all fixed assets, leases, tenancy, rights, investments in shares or otherwise stock-in-trade work shop tools, goods-in-transit, advances of monies of all kinds, book-debts, outstanding monies recoverable claims, agreements, industrial and other licenses and permits, imports and other licences, letters of intent and all rights and powers of every discription, but subject to all mortgages and charges and hypothecation, guarantees, and all rights whatsover effecting the said properties of M/s. Punjab Horticulture Corporation Limited shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vest in M/s. Punjab Agro Industries Corporation Limited in accordance with the law in force.

(ii) For accounting purposes,the amalgamation shall be effected with references to the audited accounts and balance-sheets as on 31st Aug. 1986 of the two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account, the dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall takeover all assets and liabilities according to the balance sheet as on 31st Aug. 1986 and accept full responsibility for all transaction thereafter.

EXPLANATION

The 'Undertaking of the dissolved Company' shall include all rights, power authorities and privileges and all property, movable or immovable including cash balances, reserves, revenue balances, investments and all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to or be in the possession of the dissolved company immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

5. TRANSFER OF CERTAIN ITEMS OF PROPERTY

For the purpose of this order, all the profits or losses, or both if any of the dissolved company as on the appointed day and the revenue reserves or deficits, or both, if any, of the dissovled company when transferred to the resulting company shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be of the resulting company.

6. SAVING OF CONTRACTS ETC.

Subject to the other provisions contained in this order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately, before the appointed

day, shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company may be enforced as fully and effectually, as if, instead of the dissolved company, the resluting company has been a party thereto.

7. SAVING OF LEGAL PROCEEDING

If on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceedings or whatever nature by or against the dissovled company be pending, the same shall not abate or be discountinued, or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting company of the undertaking of dissolved company or of anything contained in this order. But the suit, prosecution appeal or other legal proceeding may be continued, prosecuted and enforced or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would or may becontinued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company, if this order had not been made.

8. PROVISION WITH RESPECT TO TAXATION.

All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. PROVISIONS RESPECTING EXISTING OFFICERS AND OTHER EMPLOYEES OF THE DISSOLVED COMPANY

Every wholetime officer or other employee (excluding the Directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day in the dissolved company, shall as from the appointed day, became an officer or other employee as the case may be, of the resulting company and shall hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as would have held the same under the dissovled Company, if this order had not been made, and shall continue to do so unless and until his employment in the resulting company is duly terminated or until his remuneration and condition of employment are duly altered by mutual consent.

10. POSITION OF DIRECTORS

Every Directors of the dissolved Company hokding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a Director of the dissolved company on the appointed day.

11. MEMBERSHIP OF THE PROVIDENT FUND

All officers and employees of the dissolved company shall continue to be members of the Employees Provident Fund under the scheme of the Employee Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 of which they are members and M/s. Punjab Agro Industries Corporation Limited shall with effect from the appointed day of publication of this order in the Official Gazette make and continue to make the employer's contributions to the said Employees Provident Fund in respect of these officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved Company.

12. DISSOLUTION OF M/s. PUNJAB HORTICULTURE CORPORATION LIMITED

Subject to the other provisions of this order, as from the appointed day, M/s. Punjab Horticulture Corporation Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims demand or proceedings against the dissolved company or against a director or an officer thereof in his capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this order.

13. REGISTRATION OF THE ORDER BY THE REGISTRAR OF COMPANIES

The Company Law Board, shall as soon as may be after this order is notified in the official gazette, send to the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh, a copy of this order, on receipt of which the Registrar of Companies, Jullandar, shall register the order on payment of the prescribed fees by the resulting

company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of this order. Thereafter, the Registrars of Companies, Jullandar, shall forthwith include all documents registered, recorded or filed with him relating to the transferor company on the file of M/s. Punjab Agro Industrial and Horticulture Development Corporation Limited, with whom the transferor company has been amalgamated and consolidated these and shall keep such consolidated documents on his file.

14. MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE RESULTING COMPANY.

The Memorandum and Articles of Association of M/s. Punjab Agro Industries Corporation Limited, as they stood immediately before the appointed day, shall as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company.

[No. 24/15/85- CL.III

S. KUMAR, Member
(Company Law Board).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989